

गलत हलफनामा • कहा- भ्रामक जानकारी देने पर क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई, चीफ जस्टिस की बेंच ने दैनिक भास्कर की खबर पर लिया संज्ञान सिर्फ 20 दिन चली सिटी बसें, फिर बंद, हाई कोर्ट ने कहा- हलफनामा भ्रामक, सचिव पेश हों

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

सालों से बंद पड़ी बिलासपुर की सिटी बस सेवा हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जुलाई में फिर से शुरू हुई थी। लेकिन महज 20 दिनों में ही बसें फिर से बंद हो गईं। बुधवार को बिलासपुर भास्कर में प्रकाशित इस खबर को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई। 20 दिन पहले शपथ पत्र के साथ जानकारी देने वाले परिवहन सचिव को गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए

हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि भ्रामक जानकारी देने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने 22 जुलाई को शपथ पत्र देकर दावा किया था कि सिटी बसों का बीमा, फिटनेस और टैक्स जमा है। 5 सिटी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। 1 बस जल्द ही चलने लगेगी। लेकिन महज 20 दिनों में सिटी बसें बंद हो चुकी है। आम लोगों को अधिक किराया देकर ऑटो या निजी बसों से सफर करना पड़ रहा है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि बसें पुरानी होने के साथ ही खराब हो

चुकी हैं और मरम्मत लायक भी नहीं हैं। दिवाली के बाद नई ई-बसें शुरू होने की बात कही जा रही है। आम लोगों की समस्या को लेकर दैनिक भास्कर ने 13 अगस्त को खबर प्रकाशित की है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सीजे सिन्हा ने गुरुवार को परिवहन सचिव को तलब किया है। उनसे पूछा है कि उन्होंने 22 जुलाई को कोर्ट में जो हलफनामा दिया था, उसमें क्यों कहा कि 6 में से 5 बसें चालू हैं और एक जल्द शुरू होगी, जबकि बसें उपयोग योग्य ही नहीं थीं और 4 दिन से किसी भी रूट पर नहीं चल रही हैं।

भ्रामक है हलफनामा

हाई कोर्ट ने कहा कि परिवहन सचिव का हलफनामा यह भ्रामक है, जिससे जनता को भारी परेशानी हुई है। बताएं, क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। इस दौरान परिवहन सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।



कोनी स्थित बस स्टॉप पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह कंडम हो चुकी हैं।

1.70 करोड़ लिए, फिर भी सिर्फ 5 बसें ही चली

कोरोना के बाद सिटी बसों के संचालन का जिम्मा रायपुर की सन मेगा एडवेंचर कंपनी को सौंपा गया। आरोप है कि कंपनी ने मरम्मत के लिए मिले 1.70 करोड़ में से काम अधूरा छोड़ा और सिर्फ 5 बसें चलाईं। बाकी बसें डिपो में सड़ रही हैं। रामनारायण तिवारी और नितिन गुप्ता ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है।